2

नि. / 3372/ II/15

130

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक........./15

1– पवन बियाणी आ. स्व. श्री गोविंददास बियाणी

2– सुमन्त बियाणी आ. स्व.श्री गोविंददास बियाणी

दोनों निवासी–बड़ा बासजार छावनी सीहोर जिला–सीहोर निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1– संजय बियाणी आ. स्व. श्री गोविंददास बियाणी
निवासी श्रीमती सुधा राय का मकान,
ब्रह्मपुरी कालोनी सीहोर

2– श्रीमती अंजलि मेवाडा पुत्री स्व. श्री गोविंददास बियाणी
61–62 दांगी स्टेट कालोनी, मेहता हाउस के पास,
चर्च ग्राउण्ड के सामने सीहोर म.प्र.

3– सर्व साधारण ---प्रतिनिगरानीकर्तागण

आज दिनांक 24/9/15 को श्री-शैलेन्द्र अभिभाषक द्वारा कुल्हू भोपाल पर प्रस्तुत 24/9/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–09–2015 जो प्रकरण क्रमांक 484/अ–6/2014–15 में अधीनस्थ तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित किया गया ।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्तागण आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है –

तथ्य

1– यह कि प्रतिनिगरानीकर्तागण ने अधीनस्थ तहसीलदार सीहोर के समक्ष दिनांक 05–08–2015 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109–110 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत प्रस्तुत करते हुए भूमि खसरा नं. 683/9, 684, 685/1, 684–685/3, 1158/684 कुल रकबा 0.824 हेक्टेयर स्थित कस्बा सीहोर स्व. गोविंददास बियाणी के आधिपत्य में स्थित होने एवं उनका स्वर्गवास होने के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण स्थापित कर आदेश पत्रिका दिनांक 05–08–2015 को प्रकरण दर्ज कर उद्घोषणा जारी करने एवं अनावेदकगणों को आहूत करने निर्देश देते हुए पेशी दिनांक 21–08–2015 नियत की गयी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3372–दो/2015 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सीहोर के प्रकरण कमांक 484/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 3–9–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण ने संहिता की धारा 109/110 का आवेदन उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 5–8–15 को उद्घोषण जारी करने एवं अनावेदकों को आहूत करने के आदेश दिये तथा पेशी दिनांक 21–8–15 नियत की। दिनांक 21–8–15 को आपत्ति प्राप्त न होने से अनावेदकगण को तलब करने के आदेश दिये तथा पेशी दिनांक 10–9–15 को पेशी नियत की। आवेदकगण द्वारा दिनांक 3–9–15 को वसीयत के आधार पर नामांरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार द्वारा पृथक से प्रकरण दर्ज न करते हुये और न ही पृथक से विज्ञाप्ति जारी की तथा उक्त आवेदन पत्र पूर्व से प्रचलित प्रकरण के साथ संलग्न करने के आदेश दिये हैं। आवेदकगण अभिभाषक का मुख्य रूप से	

तर्क है कि यदि आवेदकगण द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तो तहसीलदार को विधिवत प्रकरण दर्ज करना चाहिए था और यदि उनके द्वारा प्रकरण दर्ज न कर पूर्व से प्रचलित प्रकरण में संलग्न किया था तो आवेदकगण के आवेदन पर पुनः इस्तहार प्रकाशन कराना चाहिए था। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदकगण ने वारिसान नामांतरण के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा आवेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि दिनांक 5–8–15 को इस्तहार प्रकाशन की कार्यवाही हो चुकी थी तथा भूमि एवं पक्षकार एक ही थे और इश्तहार का प्रकाशन हो चुका था इसलिए तहसीलदार द्वारा पृथक से नामांतरण दर्ज न करते हुये एवं न ही पृथक से विज्ञाप्ति का प्रकाशन करते हुये आवेदकगण का आवेदन एक साथ संलग्न कर प्रकरण में जबाव हेतु नियत किया है। चूंकि भूमि एवं पक्षकार एक ही हैं तथा एक ही भूमि पर एक ही पक्षकार का नामांतरण, चाहे वारिसान के हित में नामांतरण अथवा वसीयत के आधार पर नामांतरण होना है इसलिए पृथक से प्रकिया संबंधी कार्यवाही आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–9–15 विधिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दोनों पक्षों को

जबाव एवं प्रतिपरीक्षण का आवसर देने के उपरांत प्रस्तुत दस्तावेजों का विधि की मंशा के अनुरूप परीक्षण करने के उपरांत नामांकित प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य